199

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्षः— श्री एम0के0 सिंह
सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी 1578—दो/2006 के विरूद्ध पारित आदेश दिनांक 23—08—2006 के द्वारा न्यायालय अपर आयुक्त सागर संभाग सागर प्रकरण क्रमांक 719/बी—121/2004—05/अपील

दयाराम तनय अजुददी कुर्मी
निवासी ग्राम पलयन का पुरवा
(जनकपुर) तहसील जिला छतरपुर
मध्यप्रदेश ——— आवेदक

विरूद्ध

1 —सुन्दरलाल तनय मुल्लू लाल पटेल
2—जगन्नाथ तनय जानकी प्रसाद पटेल
निवासीगण ग्राम पनौठा तहसील व जिला
छतरपुर म0 प्र0
3—म0 प्र0 शासन

———अनावेदकगण

श्री आर0 डी0 शर्मा, अभिभाषक, आवेदक
श्री एस0 पी0 धाकड अभिभाषक, अनावेदकगण
अनावेदक कमंक—3 पैनल अधिवक्ता

.....

आदेश

(आज दिनांक 23—12—2016 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी न्यायालय अपर आयुक्त सागर, संभाग सागर के प्रकरण क्रमांक 719/बी—121/2004—05/अपील में पारित आदेश दिनांक 23—08—2006 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू—राजस्व संहिता 1959 (संक्षेप में आगे जिसे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है ।

2– प्रकरण का संक्षेप इस प्रकार है कि ग्राम पनौठा की भूमि खसरा नबंर 2896, 2763 कुल किता 2 कुल रकवा 1.600 है0 की भूमि राजस्व रिकार्ड में मध्य प्रदेश शासन के नाम दर्ज रही है, जिस पर आवेदक का 1981–82 से 1984–85 तक राजस्व अभिलेख आवेदक कब्जा अतिकमण के रूप में दर्ज रहा सन् 1984 में उपर्युक्त भूमि के रकबा 1.600 है0 पर आवेदक के नाम भूमिस्वामी स्वत्व पर व्यवस्थपन किया गया था, खसरा में इस आशय की टीप अंकित है। अनावेदक का द्वारा नायब तहसीलदार ईसानगर के समक्ष दिनांक 1.9.2004 को शिकायत आवेदन किया कि भूमि अनावेदकगण के कब्जे की है जिस पर आवेदक के नाम खरसरा में प्रविष्टि है उसे निरस्त किया जाये। दिनांक 14.9.2004 को आवेदक द्वारा जबाव दिया गया । दिनांक 31.12.04एवं 4.1.05 द्वारा अनावेदक कमांक 1 का आवेदन संहिता की धारा 116 के अधीन अवधि वाह्य एवं प्रचलन योग्य न पाते हुये खारिज किया गया। इस आदेश के विरूद्व अनावेदक कमांक 1 व 2 द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत अपील में अनुविभागीय अधिकारी के आदेश दिनांक 29.1.05 द्वारा अपील किया गया । इस आदेश के विरूद्व आवेदक द्वारा प्रस्तुत द्वितीय अपील अपर आयुक्त के आदेश दिनांक 23.8.06 द्वारा खारिज की गई जिसके विरूद्व आवेदक ने यह निगरानी प्रस्तुत की है।

3– उभयपक्ष अधिवक्तागण को तर्क श्रवण किये आवेदक अधिवक्ता द्वारा तर्क किया गया कि अनावेदकगण प्रकरण में पक्षकार नहीं थे उनके द्वारा प्रस्तुत शिकायत आवेदन नायब तहसीलदार द्वारा खारिज किया गया था। जब अनावेदकगण प्रकरण में पक्षकार नही थे तब उन्हें अपील करने का अधिकार नहीं था तर्क के सर्मथन में माननीय उच्च न्यायालय का न्याय दृष्टांत 1979 आर. एन. 58 प्रस्तुत किया, यह भी तर्क किया गया कि शिकायतकर्ताओं ने 1984 के अधिनियम के अधीन आवेदन नहीं किया था इस कारण उन्हें अपील का अधिकार नहीं था। समर्थन में 1992 आर. एन. 402 प्रस्तुत किया, यह भी तर्क किया कि अनावेदकगण द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत अपील अवधि वाह्य की सर्व प्रथम अवधि के प्रश्न पर निर्णय किये बिना गुणा–गुण पर निर्णय नहीं किया जा सकता था, समर्थन में 2000 (2) म0 प्र0 वीकली नोट (एस. सी.) 1984 आर. एन. 34 एवं 1979 आर. एन. 413 के न्याय दृष्टांत प्रस्तुत किये। यह भीतर्क किया गया कि 1984 के अधिनियम में अपील का उपबन्ध ना होने से अनावेदकगण द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष पस्तुत अपील में पारित आदेश

अधिकारिता रहित है जिसे स्थिर नहीं रखा जा सकता, समर्थन में 1988 आर. एन. 308 का न्याय दृष्टांत प्रस्तुत किया गया।

4– अनावेदकगण के अधिवक्ता द्वारा तर्क किया गया कि विवादित भूमि पर उनका कब्जा था। यह भी तर्क किया कि अनुविभागीय अधिकारी एवं अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश विधिवत है। यह भी तर्क किया गया कि आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी में कोई सार नहीं है एवं खारिज की जाये।

5– मैने उभयपक्षों के अधिवक्तागण के तर्को पर विचार कर एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि राजस्व अभिलेख में आवेदक का नाम सन् 1984 से भूमि स्वामी के रूप में चला आ रहा है। अनावेदकगण द्वारा लगभग 20 वर्ष पश्चात नायब तहसीलदार के समक्ष प्रविष्टि सुधार हेतु शिकायती आवेदन किया गया था जिसे निरस्त करने में नायब तहसीलदार द्वारा कोई त्रुटि नहीं की गई है। अनावेदकगण द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत अपील अवधि वाह्य की गई। अनुविभागीय अधिकारी को सर्व प्रथम अवधि के प्रश्न पर निर्णय किये बिना गुणा–गुण पर आदेश पारित किया गया है जो त्रुटिपूर्ण है। अपर आयुक्त द्वारा भी इस प्रश्न पर विचार ना कर त्रुटि की गई हैं उपरोक्त विवेचनानुसार अनुविभागीय अधिकारी एवं अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश निरस्त किये जाने योग्य है।

6–उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त सागर संभाग सागर का प्रकरण कमांक 719/बी–121/2004–05 अपील में पारित आदेश दिनांक 23.08.2006 एवं अनुविभागीय अधिकारी छतरपुर का प्रकरण कमांक 113/अपील/2004–05 में पारित आदेश दिनांक 29.7.05 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाते हैं तथा नायब तहसीलदार ईशनगर जिला छतरपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 4.1.05 स्थिर रखा जाता है। परिणामस्वरूप आवेदक की निगरानी स्वीकार की जाती है।

(एम0 के0 सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश
ग्वालियर